Order Sheet [Contd] Case No - B.A 396/17

Case No - B.A 396 / 17	
Date of Order or Proceeding Order or proceeding with Signature of presiding Where ne	Pleaders
पीटासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत। अविदेका श्रीमती किरन यादव द्वारा अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित। राज्य द्वारा श्री वी.एस. बघेल अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक रुपस्थित। परिवादी स्व. कमल शिक्षा एवं बाल कल्याण समिति द्वारा श्री प्रवीण गुस्ता उपस्थित, मेमो पेश। न्यायिक मिलस्टैट प्रथम श्रेणी गोहद (श्री ए०के० गुप्ता) के मूल आपराधिक प्रकरण कमांक 55/12 परिवाद उनवान स्व. कमल शिक्षा एवं बाल कल्याण समिति बनाम विलीप आदि का मूल अभिलेख प्राप्त। परिवादी की ओर से किरन यादव को देवरानी श्रीमती बेवी सिंह यादव का शपथ पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीट ग्वालियर का आदेश दिनांक 03.02.2016 एवं 04.03.2016 की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की गयी, नक्ले दिलायी गयी। आवेदिका का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दप्रस के साथ किरन यादव के भाई जितेन्द्र यादव के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन एवं शपथपत्र में व्यक्त किया गया है कि यह आबेदिका का द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दप्रस का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस नयायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही निरस्त हुआ है। आवेदिका के हितीय अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दप्रस पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये। आवेदिका को ओर से व्यक्त किया गया है कि पूर्व में दिनांक 01. 10.12 को आवेदिका का जमानत आवेदन निरस्त हुआ था उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष धार 482 दप्रस के तहत याविका प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि उभयपक्ष यदि राजीनामा कर रहे हैं तो विचारण न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत करें जिसके संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत करें जिसके संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय मही किया है उसे झुटा फसाया गया है। उपस्थित कर राजावीय महिला है यदि उसे गिरफतार कर लिया गया या तो उसकी प्रतिका इप्लेत महिला है यदि उसे गिरफतार कर लिया गया या तो उसकी प्रानेता की गयी है।	

राज्य की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया है और जमानत निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

परिवादी स्व. कमल शिक्षा एवं बाल कल्याण समिति की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है और व्यक्त किया गया है कि शिक्षा समिति की अध्यक्ष बेबी सिंह का आवेदिका से राजीनामा हो गया है उनकी ओर से भी अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष को सूने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि परिवादी के अनुसार सहअभियुक्त दिलीप सिंह यादव परिवादी संस्था का पूर्व सचिव था।10.08.2005 के सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थाए ग्वालियर संभाग के आदेश के आधार पर वे सचिव नहीं रहे थे तथा बेबी सिंह यादव को अध्यक्ष तथा केशव सिंह यादव को सचिव मान्य किया गया था, परंतु दिलीप सिंह ने स्वयं को उक्त संस्था का सचिव बताते हुए अपनी पत्नि श्रीमती किरन यादव के नाम से अन्य संस्था गठित करके परिवादी संस्था की सम्पत्ति का बयनामा दिनांक 04.05.2006 को निष्पादित कर दिया। उक्त परिवाद दिनांक 13.02.2012 को पंजीबद्ध किया और श्रीमती किरन यादव एवं दिलीप सिंह यादव के विरूद्ध धारा 420, 467, 468 भादसं के तहत संज्ञान लिया गया।

प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 01.10.2012 को आवेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन गुणदोष के आधार पर निराकृत होकर आवेदक निरस्त किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 03.02.2016 के आदेश में उभयपक्ष को विचारण न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तृत करने और न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निराकृत करने का आदेश दिया गया था। परंत् दिनांक 04.03.2016 के आदेश में यह पाया गया कि राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। आवेदिका की ओर से प्रमुख आधार यह लिया गया है कि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया है। आवेदिका का प्रथम जमानत आवेदन गुणदोष के आधार पर निरस्त हुआ है। उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने या राजीनामा प्रस्तुत करने का आधार जमानत के लिए परिस्थितियों का सारभूत परिवर्तन नहीं है। अतः द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

> मूल अभिलेख ओदश की प्रति सहित वापिस किया जावे। WITH STATE OF THE STATE OF THE

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म्पप्र